



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email: helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, मुंबई-400001

Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Mumbai-400001

फोन/Phone: 022- 22660502

30 जून 2021

भारत सरकार के खज़ाना बिलों का नीलामी कैलेंडर
(सितंबर 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए)

केंद्र सरकार की नकद स्थिति की समीक्षा करने के बाद, भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से सितंबर 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए खज़ाना बिलों के निर्गम के लिए निम्नानुसार राशियां अधिसूचित करने का निर्णय लिया है:

खज़ाना बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि (01 जुलाई 2021 से 30 सितंबर 2021)					
					(₹ करोड़)
नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	91 दिवसीय	182 दिवसीय	364 दिवसीय	कुल
07 जुलाई 2021	08 जुलाई 2021	9,000	4,000	4,000	17,000
14 जुलाई 2021	15 जुलाई 2021	9,000	4,000	4,000	17,000
20 जुलाई 2021	22 जुलाई 2021	9,000	4,000	4,000	17,000
28 जुलाई 2021	29 जुलाई 2021	9,000	4,000	4,000	17,000
04 अगस्त 2021	05 अगस्त 2021	9,000	4,000	4,000	17,000
11 अगस्त 2021	12 अगस्त 2021	9,000	4,000	4,000	17,000
18 अगस्त 2021	20 अगस्त 2021	9,000	4,000	4,000	17,000
25 अगस्त 2021	26 अगस्त 2021	9,000	4,000	4,000	17,000
01 सितंबर 2021	02 सितंबर 2021	9,000	4,000	4,000	17,000
08 सितम्बर 2021	09 सितम्बर 2021	9,000	4,000	4,000	17,000
15 सितंबर 2021	16 सितंबर 2021	9,000	4,000	4,000	17,000
22 सितंबर 2021	23 सितंबर 2021	9,000	4,000	4,000	17,000
29 सितंबर 2021	30 सितंबर 2021	9,000	4,000	4,000	17,000
कुल		117,000	52,000	52,000	221,000

2. भारत सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार की आवश्यकताओं, उभरती बाजार स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर खज़ाना बिलों की अधिसूचित राशि और समय-सारणी में बाजार को उचित सूचना देने के बाद संशोधन करने का लचीलापन जारी रखेगा। इस तरह, यदि बीच में पड़ने वाली छुट्टियों के कारणों सहित ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो इस कैलेंडर में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि ऐसा कोई परिवर्तन होगा तो उसे प्रेस प्रकाशनियों के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

3. खज़ाना बिलों की नीलामी भारत सरकार द्वारा [27 मार्च 2018 को जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित सामान्य अधिसूचना सं. एफ4\(2\)-डब्ल्यूएंडएम/2018](#) में विनिर्दिष्ट निबंधन एवं शर्तों के अधीन होगी।

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/459

(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक